

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 361] No. 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 470(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2006 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2 विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 5 के उप नियम (2) में,-
 - (1) खंड (क) के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि क्षेत्र का कम से कम पैंतीस प्रतिशत भाग प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने के लिए निश्चित किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय कार द्वारा लेखबद्ध कारणों से बोर्ड की सिफारिशों पर पच्चीस प्रतिशत तक शिथिल किया जा सकेगा।"

- (2) खंड (ख) कं दूसरे परंतुक में "क्षेत्र दस हेक्टेयर या अधिक होगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-"क्षेत्र दस हेक्टेयर या अधिक होगा जिसमें न्युनतम निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा :
 - (i) गैर परंपरागत ऊर्जा सेक्टरों, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा उपस्कर/सेल भी हैं, के लिए अनन्य रूप से स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विशेष आर्थिक जोन की दशा में, किंतु इसके अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण के लिए स्थापित विशेष आर्थिक जोन नहीं है, चालीस हजार वर्ग मीटर;
 - (ii) रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए अनन्य रूप से स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विशेष आर्थिक जोन की दशा में पचास हजार वर्ग मीटर।"।
- (3) खंड (ग) में,-
 - (i) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "परंतु यह कि विशिष्ट प्रकार के मुक्त व्यापार और भंडागारण जोन में कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र को प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने के लिए निश्चित किया जाएगा;

परंतु यह और कि बहु-उत्पाद के लिए किसी मुक्त व्यापार और भंडागारण जोन की स्थापना एक विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में भी की जा सकेगी:"

- (ii) दूसरं परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों कं म्थान पर "परंतु यह भी कि" शब्द रखं जाएंगे ।
- 3. मुल नियमों के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"5क. सचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं,-

स्चना प्रौद्योगिकी सं संबंधित किसी विशेष आर्थिक जोन की दशा में निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, अर्थात् :-

- (क) जोन में स्थिर आवृत्ति पर चौबीस घंटे की अविच्छिन विद्युत आपृतिं;
- (ख) अविच्छिन और सुरक्षित डाटा पारेषण के लिए विश्वसनीय संयोजन;
- (ग) कंन्द्रीय वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था; और
- (घ) ऑतिम उपयोक्ताओं के लिए उपयोग के लिए तैयार, सुसज्जित प्लग और पे सुविधा। "
- 4. मूल नियमों कं नियम 11 के उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(10) कारबार और सामाजिक प्रयोजनों जैसे शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों, होटलों, मनोरंजन और सत्कार सुविधाओं, आवासीय और कारोबारी कंप्लैक्सों के लिए गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी सहविकासकर्ता के सिवाय किसी व्यक्ति को किसी खाली भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा :

परंतु यह कि विकासकर्ता या सहविकासकर्ता, ऐसे प्रयोजनों के लिए संपूर्ण अवसंरचना के साथ उससे संबद्ध खाली भूमि को पट्टे पर दे सकेगा:

परंतु यह और कि विशेष आर्थिक जोन में ऐसे कारबार या सामाजिक प्रयोजनों के लिए, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अवसंरचना, छूटों, रियायतों और प्रतिअदायगी की पात्र होगीं।"

- 5. मूल नियमों के नियम 18 के उप-नियम (4) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(छ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए पहले प्रयुक्त किए गए किसी संयंत्र या मशीनरी का उपयोग।"
- 6. मल नियम के नियम 76 में,-
- (i) "उप-खंड" शब्दों के स्थान पर "खंड" शब्द रखा जाएगा:
- (ii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "स्पष्टीकरण :—अधिनियम की दूसरी अनुसूची के प्रयोजनों के लिए "व्यापार" पद से पुन: निर्यात के प्रयोजनों के लिए आयात अभिप्रेत हैं ।"

[फा. सं. एफ-1/6/2006-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2006

- G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—
 - 1. (I) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2006
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (2) of rule 5,—

- (1) in clause (a), for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:
- "Provided also that at least thirty-five per cent of the area shall be earmarked for developing the processing area, which may be relaxed upto twenty-five per cent by the Central Government on recommendations of the Board for the reasons to be recorded in writing,";
- (2) In clause (b) in the second proviso, for the words "the area shall be ten hectares or more", the following shall be substituted, namely:—
- "the area shall be ten hectares or more with a minimum built up area as under
- (i) forty thousand square meters in case of a Special Economic Zone proposed to be set up exclusively for biotechnology and non-conventional energy sectors, including solar energy equipments/cells but excluding a Special Economic Zone set up for non-conventional energy production and manufacturing;
- (ii) fifty thousand square meters in case of a Special Economic Zone proposed to be set up exclusively for the gems and jewellery sector.".
- (3) in clause (c), —
- (i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that in a stand alone Free Trade and Warehousing Zone at least fifty per cent of the area shall be earmarked for developing processing area:
 - "Provided further that a Free Trade and Warehousing Zone may also be set up as part of a Special Economic Zone for multi-product;";
 - (ii) in the second proviso, for the words "provided further", the words "provided also" shall be substituted.
- 3. After rule 5 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—
 - "5A. Infrastructure requirements relating to information technology.—
 - In case of a Special Economic Zone relating to information technology, the following facilities shall be ensured, namely:—
 - (a) twenty-four hours uninterrupted power supply at stable frequency in the Zone:
 - (b) reliable connectivity for uninterrupted and secure data transmission;
 - (c) provision for central air-conditioning system; and
 - (d) a ready to use, furnished plug and pay facility for end users.".
- 4. For sub-rule (10) of rule 11 of the principal rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(10) No vacant land in the non-processing area shall be leased for business and social purposes such as educational institutions, hospitals, hotels, recreation and entertainment facilities, residential and business complexes, to any person except a co-developer approved by the Board:
 - Provided that the developer or co-developer may lease the completed infrastructure along with the vacant land appurtenant thereto for such purposes :
 - Provided further that infrastructure for business or social purposes in the Special Economic Zone, as may be approved by the Board, shall be eligible for exemptions, concessions and drawback."
- 5. In sub-rule (4) of rule 18 of the principal rules, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—
 "(g) the use of any plant or machinery previously used for any purpose in Domestic Tariff Area.".
- 6. In rule 76 of the principal rules,
 - (i) for the words "sub-clause", the word "clause" shall be substituted;
 - (ii) the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—
 - "Explanation. The expression "Trading", for the purposes of the Second Schedule of the Act, shall mean import for the purposes of re-export.".

[No. F. 1/6/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number GSR 54(E), dated the 10th February, 2006.